

कार्यालय: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं०-सेवा-2/अराज./ 128 /2016-2017 दिनांक 04 मई, 2016

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की चयन संस्तुति के उपरान्त शासन के पत्र संख्या 233/XXIV-नवसृजित/16-17(01)/2015 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 एवं शासनादेश संख्या 257 XXIV-नवसृजित/16-07(04)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के क्रम में उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा के निम्नांकित सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे-4600) को उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा वेतनक्रम, (वेतन बैंड-2 रू० 9300-34800, ग्रेड पे 4800) में प्रवक्ता- जीव विज्ञान (महिला शाखा) के पद पर मौलिक पदोन्नति के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से तैनात/पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	अध्यापिका का नाम	वर्तमान तैनाती का विद्यालय	वर्तमान पद एवं विषय	पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	04	05	06
1	श्रीमती परमिला बहुगुणा	रा०क०उ०मा०वि० मलेथा टिहरी	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० श्रीनगर पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
2	अंजना केलब	रा०क०उ०मा०वि० भतरोज खान अल्मोड़ा	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० ताड़ीखेत अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती राजेश्वरी मेहता	रा०क०इ०का० द्वाराहाट अल्मोड़ा	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० चौखुटिया अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती वन्दना जोशी	रा०क०उ०मा०वि० चनौदा ताकुला अल्मोड़ा	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० सोमेश्वर अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती आमा रौतेला	रा०इ०का० खुर्पाताल, नैनीताल		रा०बा०इ०का० बनभूलपुरा नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
6	परिणिता पन्त	रा०क०इ०का० दौलिया, नैनीताल	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० तल्ला रामगढ़ नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
7	आशा पन्त	रा०क०इ०का० डीडीहाट, पिथौरागढ़		रा०क०इ०का० डीडीहाट, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
8	अनिता सक्सेना	रा०क०इ०का० नैनीताल	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० भीमताल नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
9	भारती पाण्डेय	रा०क०इ०का० नरेन्द्रनगर टिहरी	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० कौलागढ़ देहरादून	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती निरुपमा बिष्ट	रा०क०इ०का० कलालघाटी पौड़ी	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० कोटद्वार पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
11	तारा पाण्डे	रा०क०इ०का० हल्द्वानी नैनीताल		रा०बा०इ०का० चमदेवल चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
12	आमा साह	रा०क०उ०मा०वि० फूलचौड़ नैनीताल		रा०बा०इ०का० घौलाखेडा नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
13	श्रीमती गीता खनका	रा०क०उ०मा०वि०पीपल पोखरा नैनीताल	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
14	श्रीमती माधुरी नौटियाल	रा०उ०मा०वि० बनियावाला देहरादून	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० बीरौखाल पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
15	श्रीमती शालिनी राणा	रा०क०इ०का० ब्रह्मपुरी देहरादून	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० सधीपुर हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
16	श्रीमती सुमन नेगी	रा०क०उ०मा०वि० नई टिहरी	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० विन्ध्यालीसौंड उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
17	श्रीमती प्रीति सती	रा०क०इ०का० घमण्डपुर पौड़ी	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० जोशीमठ चमोली	रिक्त पद के प्रति
18	श्रीमती मंजू कुकरेती	रा०उ०मा०वि० अम्बाड़ी देहरादून	स०अ० विज्ञान	रा०बा०इ०का० पोखरी चमोली	रिक्त पद के प्रति

19	नीति कंसल	रा0उ0मा0वि0 बेलड़ी हरिद्वार	स0अ0 विज्ञान	रा0बा0इ0का0 पोखरी पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
20	पुनीता पाण्डे	रा0क0उ0मा0वि0 बमोरी नैनीताल	स0अ0 विज्ञान	रा0बा0इ0का0 भिकियासैण अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
21	श्रीमती कुसुम जोशी	रा0क0उ0मा0वि0 रैलाकोट अल्मोड़ा	स0अ0 विज्ञान	रा0बा0इ0का0 दौलाघट अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
22	श्रीमती मनीषा चन्द्र	रा0इ0का0 गौजानी नैनीताल	स0अ0 विज्ञान	रा0बा0इ0का0 थत्यूड़ टिहरी	रिक्त पद के प्रति
23	श्रीमती नीलम गुरुरानी	रा0क0उ0मा0वि0 जवाहर ज्योति हल्द्वानी नैनीताल	स0अ0 विज्ञान	रा0बा0इ0का0 जयन्ती अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
24	श्रीमती आशा रावत	रा0क0इ0का0 पोखरी चमोली	स0अ0 विज्ञान	रा0बा0इ0का0 दुगड़डा पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
25	श्रीमती रिमता सेमवाल	रा0क0इ0का0 सिकरौड़ा हरिद्वार	स0अ0 विज्ञान	रा0बा0इ0का0 लक्खीबाग देहरादून	रिक्त पद के प्रति

2. पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर पदोन्नत शिक्षकों को पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के नियम-9(2) के तहत अगले तीन वर्षों तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त उक्त शिक्षकों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम-8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

4. उक्त पदोन्नतियां मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0 1486/एस0एस0/2013 जीवन सिंह धामी व 17 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका सं0 1487/एस0एस0/2013 लक्ष्मण सिंह खाती व 11 अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेंगी।


(बी0एस0 नेनी)  
प्रभारी अपर निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पू0 सं0 सेवा-2/अराज0/3072-84 /2016-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- (2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- (3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
- (4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
- (5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- (7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
- (8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की विषयवार संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कार्यभार से मुक्त होने एवं पदोन्नति के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं का विवरण विभागीय ई-पोर्टल पर तत्काल ही अंकित करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में कदापि लापरवाही न बरती जाय।

- (10) सम्बन्धित प्रधानाचार्य, को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों से निर्मांकित अभिलेखों की पुष्टि होने पर ही पदोन्नत शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें-
- (क) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों।
- (ख) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत हों तथा पाँच वर्ष की नियमित तथा सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हों।
- (ग) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो प्रस्तावित है और न ही गतिमान है।
- (घ) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका, जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में पदोन्नत हुए हैं, वह मूल रूप में उसी संवर्ग में नियुक्त भी हुए हैं। कोई शिक्षक/शिक्षिका जिस संवर्ग (सामान्य/महिला) में नियुक्त हुए हैं तथा उनकी पदोन्नति भिन्न संवर्ग में हुई है, उन्हें किसी भी दशा में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराये।
- (च) इस पदोन्नति आदेश में संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती विद्यालय में स्थानान्तरण या अन्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्तम्भ-3 में अंकित विद्यालय से या संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की सेवा पुस्तिका से उनके संबंध में पुष्टि करने के उपरान्त संबंधित उन्हें कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये।
- (छ) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका के सेवा अभिलेखों में कोई भिन्नता परिलक्षित होती हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक को कार्यभार से मुक्त न करें तथा इसकी सूचना अनिवार्य रूप से निदेशालय को पंजीकृत पत्र से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- (ज) शिक्षक/शिक्षिका द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ई-पोर्टल पर संबंधित शिक्षक/शिक्षिका की कार्यभार ग्रहण करने की अंकना तत्काल कराना सुनिश्चित करें।  
कृपया उक्त बिन्दुओं पर भली-भाँति जांच करने के पश्चात् ही संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये अन्यथा की स्थिति में संबंधित संस्थाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (11) संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्तर-10 में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने पर ही पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त किसी प्रकार की समयवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
- (12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

  
 (श्री० गी० गोस्वामी)  
 उप निदेशक  
 माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।